न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 119 / 2021 वाद

श्री ध्रुपद सिंह पिता स्वर्गीय अभिमन्यु सिंह राजपूत, उम्र वयस्क निवासी बारीघाट, चान्दपोल, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

वादी

बनाम

1. श्रीमती कैलाश देवी पत्नी श्री कैशुदास वैष्णव, जाति वैरागी, उम्र वयस्क, निवासी बेड़वास पंचायत समिति के सामने, रेल्वे अण्डरपास से पहले, ग्राम बेड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री कैशुदास वैष्णव, पिता का नाम मालूम नंही जाति वैरागी, उम्र वयस्क, निवासी बेड़वास पंचायत समिति के सामने, रेल्वे अण्डरपास से पहले, ग्राम बेड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>
<u>श्री अजय सिंह हाड़ा अधिवक्ता वादीगण उपस्थित</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक: 05.09.2023

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि मौजा ग्राम बेड़वास पटवार हल्का भोईयों की पंचोली तहसील गिर्वा के आराजी संख्या 1696, 1697, 2371, 2375, 2376, 2378, कुल किता 6 रकबा 0.4600 हैक्टेयर भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि होकर वादी के हक आधिपत्य एवं उपयोग उपभोग में चली आ रही है। वादी के उपरोक्त खातेदारी भूमि आराजी संख्या 1696, 1697 से लगती हुई अन्य खातेदारी आराजी की आराजी संख्या 1676 रकबा 0.0600 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या एक श्रीमती कैलाश देवी के संयुक्त खातेदारी की भूमि होकर के भूमि के जूज हिस्से पर निर्माण किया हुआ है तथा वादी की भूमि से लगती हुई भूमि खाली पड़ी हुई है। प्रतिवादीगण द्वारा करीब 1 वर्ष पूर्व वादी से सम्पर्क करके वादी की उपरोक्त आराजी संख्या 1696 एवं 1697 को विक्रय कर देने बाबत् वादी को प्रस्ताव रखा जिस पर वादी द्वारा इन्कार कर दिया गया तो हाल ही में प्रतिवादीया द्वारा मौका पाकर वादी की आराजी संख्या 1696, 1697 में प्रवेश करते हुए वादी की आराजी संख्या 1696, 1697 में प्रवेश करते हुए वादी की भूमि पर जबरन कब्जा करने के आशय से वादी की गैर हाजरी में जे.सी.बी. बुलाकर खड्डा एवं नींव खुदवा दी गई एवं मौके पर पत्थर डलवा दिये गये जिसकी जानकारी

है पर वादी ने मौके पर विरोध प्रकट किया एवं कथन किया कि यह कब्जा एवं भराव मेरी जमीन से हटाओ तथा मेरे खेत पर आने जाने का एकमात्र रास्ता भी बन्द किया जा रहा है जिसे वापस सही कराओ तो प्रतिवादीगण लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो गये। प्रतिवादीगण बेड़वास के निवासी होकर के प्रभावशाली व्यक्ति है जिनके विरूद्ध वादी द्वारा पुलिस थाना प्रताप नगर उदयपुर में भी शिकायत दर्ज करवाई गई जो एफ.आई.आर. संख्या 133/2021 है किन्तु उनके विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई है प्रतिवादीगण बेतरतीव ढंग से निर्माण करके वादी की किमती भूमि को हथियाना चाहते है। जबकि वादी की भूमि से प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नहीं है प्रतिवादीगण को वादी की भूमि पर कब्जा करने, अवैध रूप से प्रवेश करने एवं वादी को वादी की भूमि पर जबरन बेदखल करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है जिससे वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेद्याज्ञा प्राप्त करने का पूर्ण रूप से अधिकारी है।

अतः वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेद्याज्ञा इस आशय की जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी वादी के हक हिस्से की आराजी संख्या 1696, 1697 पर वादी के कब्जे में प्रतिवादीगण किसी प्रकार दखलअन्दाजी नहीं करें, ना वादी की भूमि में प्रवेश करें, ना ही वादी को भूमि से बेदखल करें, ना ही वादी की भूमि में किसी प्रकार का कोई भराव डाले ना ही निर्माण करें उक्त कार्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करें, न अपने नौकर चाकर, एजेण्ट से ही करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन सूचित किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा तामील लेने से मना का अंकित होकर सम्मन अदम तामील प्राप्त होकर सलंग्न पत्रावली है। प्रतिवादीगण द्वारा तामील लेने से मना किए जाने से प्रतिवादीगण की तामील पूर्ण मानी जाती है। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के जवाब अवसर बन्द किये गय एवं विद्ववान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सूनी गई।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों को विस्तृत अध्ययन कर मनन किया गया। पत्रावली के साथ वादी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम बेड़वास पटवार मण्डल भौईयों की पंचोली के खाता संख्या नई 5 पुरानी 4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी खातेदार काश्तकार की हैसियत से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा उक्त

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई हक एवं अधिकार नहीं है।

सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 8 नियम 10 अनुसार –

"जब न्यायालय द्वारा अपेक्षित लिखित कथन को उपस्थित करने में पक्षकार असफल रहता है तब प्रक्रिया – जहां ऐसा कोई पक्षकार जिससे, नियम 1 या नियम 9 के अधीन लिखित कथन अपेक्षित है, उसे न्यायालय द्वारा यथास्थिति, अनुज्ञात या नियत समय के भीतर उपस्थित करने में असफल रहता है वहां न्यायालय उसके विरूद्ध निर्णय सुनायेगा या वाद के संवध में ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे और ऐसा निर्णय सुनाए जाने के पश्चात डिक्री तैयार की जायेगी।"

अतः प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने एवं जवाब हेतु समूचित अवसर दिए जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये जाने से वादी का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 10 के तहत वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम बेड़वास पटवार हल्का भोईयों की पंचोली तहसील गिर्वा के आराजी संख्या 1696, 1697 किता 2 रकबा 0.1350 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेद्याज्ञा पारित की जाती है कि वह उक्त आराजीयात का वादी के उपयोग उपभोग एवं कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी नही करें, न ही कब्जे से बेदखल करें, यह कार्य न तो स्वयं करें न ही अपने परिजनों, नौकरों, ऐजेन्टों इत्यादि से ही करावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण शुमारफैसल होकर नम्बर से कम हो।

05/09/23

(प्रतिभा [illegible])

उपखण्ड अधिकारी

गिर्वा – उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस. मुकदमा 119/2021 सन 2021 सीगह वाद (1) श्री ध्रुपद सिंह पिता स्वर्गीय अभिमन्यु सिंह राजपूत, उम्र वयस्क निवासी बारीघाट, चान्दपोल, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर (राज) बनाम (1) श्रीमती कैलाश देवी पत्नी श्री कैशुदास वैष्णव, जाति वैरागी, उम्र वयस्क, निवासी बेड़वास पंचायत समिति के सामने, रेल्वे अण्डरपास से पहले, ग्राम बेड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) (2) श्री कैशुदास वैष्णव, पिता का नाम मालूम नंही जाति वैरागी, उम्र वयस्क, निवासी बेड़वास पंचायत समिति के सामने, रेल्वे अण्डरपास से पहले, ग्राम बेड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) वाद अन्तर्गत धारा 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। श्री अजय सिंह हाड़ा अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि :–

प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने एवं जवाब हेतु समुचित अवसर दिए जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये जाने से वादी का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 10 के तहत वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम बेड़वास पटवार हल्का भोईयों की पंचोली तहसील गिर्वा के आराजी संख्या 1696, 1697 किता 2 रकबा 0.1350 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेद्याज्ञा पारित की जाती है कि वह उक्त आराजीयात का वादी के उपयोग उपभोग एवं कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी नही करें, न ही कब्जे से बेदखल करें, यह कार्य न तो स्वयं करें न ही अपने परिजनों, नौकरों, ऐजेन्टों इत्यादि से ही करावें।

और इस वाद के खर्चे लेखे ....x........ रुपये की राशि ....x........ आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ....x........ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ....x........ द्वारा ....x........ को दी जाए।

यह आज तारीख ...05... माह ...09... सन् ...2023... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश .... (हस्ताक्षर) 05/09/23

पद .... उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		

आदेश

5.9.23

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण द्वारा तामिल होने से इन्कार होने से पूर्ण मानी जाती है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने से जवाब बंद करने का निवेदन किया गया। जवाब अवसर बंद किए जाकर वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है जिसका निर्णय पृथक से टंकण करा संलग्न पत्रावली किया गया। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

प्रतिभा वर्मा
RAS